

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-१६७ वर्ष २०१७

बलभद्र सिंह, पे०-स्वर्गीय बहादुर सिंह, निवासी ग्राम-पाकना, डाकघर-पाकना,
थाना-रनिया, जिला-खुंटी
याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा,
थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, डाकघर एवं थाना-खुंटी, जिला-खुंटी।
4. सचिव / प्रधानाध्यापक, मर्चा हाई स्कूल, रनिया, डाकघर एवं थाना-रनिया, जिला-खुंटी।

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री एम०एम० पान, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए :- श्री जे०एफ० टोप्पो, एस०सी० (एल एंड सी)

२/दिनांक:३० जनवरी, २०१७

1. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाताओं
को देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए
रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृति के बाद भी
भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1971 में मर्चा हाई स्कूल, खुंटी में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 30.09.2005 को सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुए हैं, वह एक सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त हाई स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण कम्पास में निहित हैं और डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान का मुद्दा है, याचिकाकर्ता एक सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त हाई स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, मरियत तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे०बी०सी०जे० 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607 / 2014 में दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर-सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुददा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।
6. पार्टीयों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को, याचिकाकर्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।
7. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री प्रमाथ पटनायक, न्याया०)